

— राजस्थान सरकार —

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु०नं०-08/2023

(जीसीएमएस नं० 2023/8)

उनवान —सरकार बनाम अंकुश कुमार पुत्र श्री हरीचंद , उम्र 42 वर्ष जाति जैन ,
मालिक/विक्रेता मैसर्स:- यशवी एन्टरप्राइजेज, वाटर वर्क्स रोड, मनियों, जिला धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/52एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -22.02.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री अंकुश कुमार पुत्र श्री हरीचंद , उम्र 42 वर्ष जाति जैन , मालिक/विक्रेता मैसर्स:- यशवी एन्टरप्राइजेज, वाटर वर्क्स रोड, मनियों, जिला धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/52 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2022 को अभियुक्त/अप्रार्थी के दुकान मैसर्स:- यशवी एन्टरप्राइजेज, वाटर वर्क्स रोड, मनियों, धौलपुर निरीक्षण के दौरान दुकान में रखी लगभग 70 किलोग्राम धनियों पाउडर (मुन्नी पन्ना) 500-500 ग्राम के आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त धनियों पाउडर (मुन्नी पन्ना) में मिलावट का शक होने पर उक्त धनियों पाउडर (मुन्नी पन्ना) में से 500-500 ग्राम के 4 पैकेट धनियों पाउडर (मुन्नी पन्ना) वारते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त धनियों पाउडर (मुन्नी पन्ना) नमूना डी-2673 वारते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/1235/एसीटी/2022/1236 दिनांक 19.12.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वारते नमूना जॉच विक्रय किया गया धनियों पाउडर (मुन्नी पन्ना) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित हुये। अप्रार्थी अभिभाषक प्रार्थना पत्र की प्रति दिलाई गई। जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में कहा कि खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा जानबूझ कर कोई गलती नहीं है और खाद्य कारोबारकर्ता एक्ट में दिये गये नियमों का पालन करता है और पालना करने के लिये बचनबद्ध है। बहस के दौरान जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त मिसब्राण्ड धनियों पाउडर (मुन्नी पन्ना) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी मिसब्राण्ड धनियों पाउडर (मुन्नी पन्ना) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

GM




-: राजस्थान सरकार:-
न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0-08/2023 उनवानी सरकार बनाम अंकुश कुमार
(2)

अतः अप्रार्थी श्री अंकुश कुमार पुत्र श्री हरीचंद , उम्र 42 वर्ष जाति जैन , मालिक/विक्रेता मैसर्स:- यशवी एन्टरप्राइजेज, वाटर वर्क्स रोड, मनियाँ, जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत राशि 25,500/-रुपये (पच्ची हजार पाँच सौ रूपये) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)